न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 121/2022
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2022/348

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मोहनराम पुत्र वालारामजी, जाति बावरी, निवासी जैतपुर तहसील रोहट जिला पाली।		1. पेमा पुत्र वाला जाति बावरी निवासी– जैतपुर तहसील रोहट जिला पाली।
2. रतनाराम पुत्र वालारामजी, जाति बावरी, निवासी जैतपुर तहसील रोहट जिला पाली।		2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी की ओर से अधिक्ता श्री दौलत मकवाना

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25.11.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत आंवटन कमेटी के आदेश संख्या 504 दिनांक 14.06.1966 द्वारा ग्राम जैतपुर के खसरा नम्बर 21/3 रकबा 15.00 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिह राजपुरोहित वक्त बहस उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को ग्राम जैतपुर तहसील रोहट जिला पाली के खसरा संख्या 21/3 रकबा 15.00 बीघा का भू–आंवटन करने के पूर्व प्रार्थीगण के कब्जे संबंधी या तो नियमन करना चाहिये था और अगर प्रार्थीगण नियमन की तारीफ में नही आते तो धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बेदखल करके ही अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आंवटन किया जा सकता था अर्थात यह भूमि अधिपत्यविहिन नहीं थी क्योंकि कब्जा प्रार्थीगण का था फिर भी जैर आराजी का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में किया गया जो काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में खसरा नम्बर 21/3 का आंवटन करना बताया, हल्का पटवारी ने दिनांक 01.07.1971 को पासबुक जारी की है, उसमें दर्शाया हुआ है, तत्पश्चात दोबारा नये तौर पर तारीख 02.06.1989 को जारी की, उसमें खसरा नम्बर केवल 21 बताया है। ऐसी सूरत में यह बात निर्विवादित है कि अप्रार्थी संख्या 01 को आंवटन के समय कब्जा हासिल नही था अर्थात उक्त खसरे का न तो नक्शे में तरमीम हुआ है और न ही मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 को कब्जा दिया है। चूंकि भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3)

Scanned with ACE Scanner

की पालना नहीं हुई है। आंवटन के वक्त उस खसरे की आधी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 को काश्त करना था व दूसरे वर्ष पूरी भूमि पर काश्त करना आवश्यक था। इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 ने आंवटन नियमों की पालना नही की है। भू–आंवटन नियम 15 के तहत आंवटन से 30 दिन की अवधि में कब्जा प्राप्त करना आवंटी को जरूरी है अगर ऐसा कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 को नही मिला तो जिला कलक्टर के यहां आवेदन करके कब्जा हासिल करना था। लेकिन यहां तो प्रार्थीगण आज भी काबिज है। आंवटन अप्रार्थी संख्या 01 के हक हिस्से में 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि पहले में मौजूदा थी इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 भूमिहीन की तारीफ में नही आता है। फिर भी अपने पक्ष में आंवटन हासिल किया है वो भू–आंवटन समिति के समक्ष मिथ्या प्रदर्शन करके अर्थात कपटपूर्ण तरीके से आवंटन हासिल किया है जो काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन व प्रस्तुतशुदा जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त जैर आवंटन की सचेष्ट जानकारी होते हुए भी करीब 56 वर्ष पश्चात निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है व उक्त देरीना का कोई स्पष्ट कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः लम्बे अन्तराल के बाद पेश प्रार्थना–पत्र मियाद की दृष्टि से विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। जैर आवंटन होने के बाद अप्रार्थी द्वारा समस्त आवंटन नियमों की पालना करने से अप्रार्थी संख्या 01 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है व किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो होने के बाद उसकी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती जिसको न्यायिक दृष्टान्त पताराम बनाम राजस्थान सरकार आर बी जे 1995 पेज संख्या 780 में अभिनिर्धारित किया गया है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज फरमावे। चूंकि प्रार्थीगण या उनके पिता वालाराम जैर आवंटन को निरस्त करवाने की locus standai भी नहीं रखते है और न ही 56 वर्षो बाद तकनीकी आधारों पर भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता जैसाकि न्यायिक दृष्टान्त मांगीलाल बनाम बदरीलाल आर बी जे 2005 पेज संख्या 113 में अभिनिर्धारित किया गया है। अतः प्रार्थी का जैर प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने, मियाद बाहर होने और प्रार्थी का locus standai नहीं होने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर यह पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी के आवंटन निरस्तीकरण के प्रमुख आधार यह है कि आवंटित भूमि पर जो कि वर्ष 1966 में आवंटित की गई है, पर उस का कब्जा था परन्तु कब्जा होने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए यह उज्र समयापयोगी नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह उज्र भी लिया है कि पासबुक एवं आवंटित भूमि में खसरा संख्या का अन्तर है परन्तु इससे इस आवंटन की विधिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं आवंटन निरस्त करवाने के लिए अन्य आधार यह लिया है कि आवंटी ने आवंटन के बाद जैर आराजी पर शर्त्तों के अनुसार काश्त नहीं की परन्तु इसके लिए अधिवक्ता प्रार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा आवंटी को आवंटन के 50 से अधिक वर्ष बाद इन तकनीकी आधारों जिसके लिए कोई साक्ष्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, आवंटन निरस्त किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी के जैर आवंटन को निरस्त किये जाने के अन्य आधार यह है कि जैर आवंटन की प्रक्रिया में कॉरम अपूर्ण थी परन्तु इस बाबत् भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में इसके विपरीत आवंटी द्वारा जो तथ्य लिये गये है तथा विभिन्न न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की गई है इसके अनुसार भूमि के आवंटन को 50 वर्ष पूरे होने व उसको आवंटन शर्त्तों की पालना करने के कारण ही खातेदारी प्राप्त हुई होगी व आवंटी वर्तमान में जैर आराजी का बतौर खातेदार दर्ज है तथा इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए प्राथमिक रूप से आपत्तिकर्त्ता द्वारा दिये गये कथनोनुसार भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

Scanned with ACE Scanner

अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) खारिज किया जाकर विपक्षी आवंटी को किये गये आवंटन को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली.

Scanned with ACE Scanner